Increase in demand for work under MGNREGA

*227. SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there has been an increase in the number of people demanding work under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), if so, the details thereof;

(b) whether Government has been able to provide the promised 100 days of work to all the people who applied for work under MGNREGA;

(c) if so, the details thereof, State-wise, and if not, the reasons therefor; and

(d) what steps are taken by Government to ensure creation of job opportunities, especially in rural areas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAM KRIPAL YADAV): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir. The States/UTs-wise details of number of households demanded employment under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) for the year 2014-15 and 2015-16 is given in Statement-I (*See* below).

(b) and (c) The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), 2005 provide for the enhancement of livelihood security of the households in rural areas of the country by providing at least one hundred days of guaranteed wage employment in every financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. The Mahatma Gandhi NREGA is a demand driven programme and the demand for work itself is influenced by various factors such as rain-fall pattern, availability of alternative and remunerative employment opportunities outside MGNREGA and prevailing unskilled wage rates. The States/UTs-wise details of households completed 100 days' employment under MGNREGS during 2014-15, 2015-16 are given in Statement-II (*See* below).

(d) The Government is actively engaged with State Governments in establishing systems that ensure provision of work as per demand, transparency and accountability. To generate awareness about the provisions of the Scheme and to provide adequate employment opportunities to rural households under MGNREGA, all States/UTs have been requested for the following:

(i) Initiate appropriate Information Education and Communication (IEC) campaigns including wall paintings for wide dissemination of the provisions of the Act.

(ii) Expand scope and coverage of demand registration system to ensure that demand for work under MGNREGA does not go unregistered.

(iii) Organize 'Rozgar Diwas' periodically to capture latent demand under the programme and to disseminate awareness about the provisions of the Act.

Statement-I

The States/UTs-wise details of number of households demanded employment under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) for the year 2014-15 and 2015-16

(₹ in lakh)

Sl. No.	State	No. of Household demanded employment	
		2014-15	2015-16
1	2	3	4
1.	Andhra Pradesh	36.93	39.63
2.	Arunachal Pradesh	1.45	1.93
3.	Assam	10.83	16.68
4.	Bihar	14.74	19.24
5.	Chhattisgarh	20.43	26.12
6.	Gujarat	5.96	6.42
7.	Haryana	2.63	2.00
8.	Himachal Pradesh	4.99	4.67
9.	Jammu and Kashmir	3.82	7.03
10.	Jharkhand	12.32	12.71
11.	Karnataka	15.14	16.63
12.	Kerala	15.65	16.65
13.	Madhya Pradesh	31.02	30.24
14.	Maharashtra	12.82	14.21
15.	Manipur	4.72	4.81
16.	Meghalaya	3.57	3.75
17.	Mizoram	1.94	1.94
18.	Nagaland	4.07	4.18

1	2	3	4
19.	Odisha	16.93	22.28
20.	Punjab	3.41	5.29
21.	Rajasthan	41.17	46.88
22.	Sikkim	0.60	0.68
23.	Tamil Nadu	56.82	60.95
24.	Telangana	29.10	29.62
25.	Tripura	5.93	5.80
26.	Uttar Pradesh	45.36	63.11
27.	Uttarakhand	4.92	5.88
28.	West Bengal	57.19	65.00
29.	Andaman and Nicobar Islands	0.14	0.10
30.	Dadra and Nagar Haveli	NR	NR
31.	Daman and Diu	NR	NR
32.	Goa	0.07	0.06
33.	Lakshadweep	0.01	0.00
34.	Puducherry	0.36	0.38
	TOTAL	465.03	534.87

NR=Not Reported

Statement-II

The States/UTs-wise details of households completed 100 days' employment under MGNREGS during 2014-15, 2015-16

(₹ in lakh)

Sl. No.	State	No. of Households completed 100 days (In Nos.)	
		2014-15	2015-16
1	2	3	4
1.	Andhra Pradesh	380660	587093
2.	Arunachal Pradesh	13	1924
3.	Assam	10449	45780
4.	Bihar	30884	63344
5.	Chhattisgarh	48032	242744

1	2	3	4
6.	Gujarat	16473	19248
7.	Haryana	5407	3597
8.	Himachal Pradesh	21562	20254
9.	Jammu and Kashmir	7858	34675
10.	Jharkhand	82390	174761
11.	Karnataka	41372	133212
12.	Kerala	98650	165962
13.	Madhya Pradesh	157961	225599
14.	Maharashtra	165381	218446
15.	Manipur	44	1
16.	Meghalaya	32506	48785
17.	Mizoram	0	0
18.	Nagaland	7	1551
19.	Odisha	81959	197472
20.	Punjab	2037	7461
21.	Rajasthan	281234	468720
22.	Sikkim	3293	9732
23.	Tamil Nadu	333005	846361
24.	Telangana	161926	416042
25.	Tripura	251444	304867
26.	Uttar Pradesh	110180	187094
27.	Uttarakhand	7675	19971
28.	West Bengal	158261	410990
29.	Andaman and Nicobar Islands	880	112
30.	Dadra and Nagar Haveli	NR	NR
31.	Daman and Diu	NR	NR
32.	Goa	104	21
33.	Lakshadweep	4	3
34.	Puducherry	0	6
	TOTAL	2491651	4855828

NR=Not Reported

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Sir, the hon. Minister has provided the figures pertaining to the number of households which demanded employment and, the number of households which got jobs and completed hundred days of employment.

Sir, if we look at the figures that have been provided, we see a total mismatch and a gaping difference between the number of people who had applied and the number of people who actually got the jobs. In Maharashtra, in this year alone, in 2015-16, 14.21 lakhs had applied, but only 2.18 lakhs got the jobs. In Uttar Pradesh, 63 lakhs had applied, but only 1.87 lakhs got the jobs, and so on and so forth. The situation in Tamil Nadu, West Bengal and other States is similar.

Sir, there is a 19 per cent turn-back in this year, in 2015-16. Even earlier, it was 11 per cent in 2013-14 and 15 per cent in 2014-15. Considering that for two years there have been consecutive droughts, I want to ask the Government why it has failed to provide jobs under this Scheme, which forms the largest part of alternative employment options for them.

श्री राम कृपाल यादवः महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को यह सूचित कर रहा हूँ कि वर्ष 2015-16 में लगभग 4.82 करोड़ परिवारों को रोज़गार दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के पहले जो औसतन रोज़गार दिए गए, उनमें सबसे अधिक रोज़गार की उपलब्धता, लगभग 49 दिनों के रोज़गार विगत 6 वर्षों में अधिक दिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। अभी तक हमारी सरकार ने मजदूरों के भुगतान के लिए लगभग 29,536.99 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार की यह प्राथमिकता है कि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिले और उनको अधिक से अधिक आर्थिक मदद मिले। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार के वित्तीय वर्ष में जो 38,500 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान था, उसमें 5,000 करोड़ रुपये की राशि अधिक ऐड की गई है और लगभग 43,500 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि हमें दे दी गई है। सरकार का यह अनवरत प्रयास है कि गरीब मजदूरों को अधिक से अधिक फायदा हो। इसके लिए asset creation की व्यवस्था की गई है, जो खास तौर से कृषि और सिंचाई से जुड़ा हुआ है।

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Sir, I am sorry to say this, but the hon. Minister has not really given a satisfactory answer as to why there is a gap. In spite of the increasing suicides that happened, the Government could not provide jobs to nearly 1.6 crore people out of the 8.4 crores that had applied. I wish to know whether there is any mechanism by which a social audit is conducted to know how many people get jobs and how many people are deprived of jobs despite applying for them. I request the Minister to enlighten us.

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)ः माननीय सभापति महोदय, यह काफी महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है, क्योंकि "मनरेगा" के संबंध में पूछा गया यह सवाल करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से सदस्य को बताना चाहता हूँ कि "मनरेगा" योजना मांग आधारित है। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कि मांग अधिक आती है, लेकिन उसके बाद रोज़गार

पर कम लोग आते हैं, इसलिए कभी-कभी असंतुलन दिखायी देता है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप 2015-16 में देखेंगे, तो 235 करोड़ मानव दिवस जो अर्जित किए गए, वे अभी तक के मानव दिवस में विगत पूर्व वर्षों में सर्वाधिक हैं। भारत सरकार की प्रतिबद्धता है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला कोई भी गरीब मज़दूर अगर है तो उसको रोज़गार दिया जाना चाहिए। मनरेगा में अनेक प्रकार की नयी पहलें भी भारत सरकार ने की हैं, जिनके कारण monitoring भी बढ़ायी जा रही है, गरीबों को सीधे उनके account में भुगतान करने का प्रयास भी किया जा रहा है, asset creation भी किया जा रहा है और जो मांग है, उसकी पंजी बनाने का काम भी किया जा रहा है। कोई भी मांग ऐसी नहीं रहनी चाहिए, जिसका पंजीकरण न हो, इसलिए मैं माननीय सदस्या को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति काम मांगने आएंगे, निश्चित रूप से उन्हें काम दिया जाएगा। हम करीबन 90 प्रतिशत ऐसे परिवारों को काम देते हैं, जो प्रत्येक वर्ष में काम करते हैं — इस दृष्टि से लगातार कोशिश की जा रही है।

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, through you, I want to remind the hon. Minister that the Prime Minister had called the MGNREGA programme a waste of time because it is only used to give people jobs to dig holes. I welcome that at least, in the last few months, there has been a change of heart or a beginning to change of heart, and in the Supplementary Demands for Grants, there has been a slight increase in the outlay even though it has been done only in the case of Supplementary Demands for Grants. My question to the Minister is: Can he give us a commitment on the floor of this House that the Government has actually changed its policy in regard to MGNREGA not believing that it is a programme only to dig holes? Let them withdraw that, and let them re-commit to this programme because in the case of the State of West Bengal, whichever way we look at it from the Numbers' point of view, it is number one from the point of view of the MGNREGA. So, let him give a firm commitment that they are serious about the MGNREGA and will put their money where the mouth is ...(*Interruptions*)... No, no. I am putting a question to one Minister ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Don't get distracted. Address the Chair. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: The other Minister is...(*Interruptions*)... What can I do? That is the situation in my State...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: A serious batsman like you does not get distracted like this.

SHRI DEREK O'BRIEN: No, Sir. I am serious about this because I have seen the Supplementary Demands for Grants. The figure has gone up ...(*Interruptions*)... Let them make ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Thank you. Let it be answered.

श्री राम कृपाल यादवः सर, मैं आपके माध्यम से सदन को, देश को और खास तौर पर माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह जो कहीं से दिग्भ्रमित किया जा रहा है या जो आप दिग्भ्रमित हो चुके हैं, उसके बारे में यह स्पष्ट है कि मनरेगा बंद नहीं होगा, मनरेगा को ताकत देने के लिए, उन्हें आर्थिक विपणता से निकालने के लिए जितनी अधिक राशि की आवश्यकता होगी, वह हमारी सरकार देने को वचनबद्ध है। प्रधान मंत्री जी का खास तौर पर निर्देश है कि हम इस पर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। यही नहीं, इसमें कई तरह की जो कमियां थीं, उन्हें भी दूर करने का काम किया गया है। महोदय, इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था, उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमने जो steps उठाए हैं, उनके अंतर्गत अब DBT के माध्यम से सीधा उनके एकाउंट में पैसा दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर, हमारे स्तर पर इसकी monitoring की व्यवस्था की गयी है। बड़े पैमाने पर लोगों की यह मानसिकता हो गयी थी कि मनरेगा का मतलब है, लूट। उस लूट की छूट को बंद करके हमने DBT लगाया है। इससे बड़े पैमाने पर जहां एक ओर भ्रष्टाचार दूर हुआ है, वहीं राशि की भी बचत हो रही है।

डा. पी. विनय सहस्त्रबुद्धेः सर, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने corruption को बंद करने के लिए काफी प्रयास किए हैं। महोदय, asset creation की स्पष्ट से इसके डिज़ाइन में कुछ परिवर्तन किया गया था। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि इस asset creation के मोर्चे पर हमारी सरकार ने आने के बाद जो सफलता पायी होगी, उसका राज्यवार अगर कोई आकलन है, तो कौन से राज्य में asset creation बहुत अधिक ताकत से हो रहा है, इसके बारे में अगर आप अवगत करा सकें, तो अच्छा रहेगा।

श्री राम कृपाल यादवः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 2015-16 में जो परिसम्पत्तियां यानी assets creation हुआ है, लगभग 61 प्रतिशत राशि कृषि और सिंचाई से संबंधित asset creation पर खर्च की गई है। अगर आप राज्यवार विवरण चाहते हैं कि इसकी कोई सूची उपलब्ध हो, तो निश्चित तौर पर आपको वह सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। सरकार का यह प्रयास है कि जो हम इतनी बड़ी राशि खर्च कर रहे हैं, उससे assets creation हो और उसका लाभ पूरे तौर से किसानों को मिले। पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी उसका हमने ख्याल रखने का प्रयास किया है।

श्री अमर सिंहः माननीय सभापति महोदय, मैं दिग्भ्रमित होकर या अवधारणा के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस तथ्यों के आधार पर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो Common Review Mission है, जिसका गठन आपके मंत्रालय ने ही किया है, उसके अनुसार आपके पास फंड नहीं है और इसकी वजह से कई जगह पर "मनरेगा" का काम रोक दिया गया है। यहां तक हुआ है कि जिन वर्करों ने उसमें काम किया है, उनको तनख्वाह भी नहीं मिली है। वर्षों हो गए हैं और इसका कारण non-availability of funds बताया जाता है। इसकी जिम्मेदारी जिन अधिकारियों के ऊपर है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? अगर कार्रवाई नहीं की गई है, तो क्यों नहीं की गई है? इस वजह से...

श्री सभापतिः आप एक सवाल पूछिए।

श्री राम कृपाल यादवः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की इस बात

को स्वीकारता हूं कि विगत वर्षों में, निश्चित तौर पर जिसकी आशंका आपने व्यक्त की है कि राशि देर से मजदूरों को दी जाती रही है। सर, अगर आप permission दें, तो मैं बताना चाहता हूं कि राज्यवार जो पैसे का प्रबंध किया जाता था, उससे कम राशि आवंटित की जाती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2011-12 में बजट का अनुमान 40,000 करोड़ रुपये का था, लेकिन 31,000 करोड़ रुपया दिया गया। वर्ष 2013-14 में बजट का अनुमान 33,000 करोड़ रुपये का था, लेकिन lastly लगभग 32,994 करोड़ रुपया release हुआ।

जब से हमारी सरकार आई है, तब से जितनी राशि का अनुमानतः बजट में प्रबंध किया है, वह पूरी की पूरी राशि हमने देने का प्रयास किया है। हमारे पास धनराशि की कोई कमी नहीं है। मैं यह बात स्वीकारता हूं कि 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना मजदूरों के भुगतान में जो देर हुआ करती थी, इसीलिए ऐसा किया गया है कि यह सीधे मजदूरों के खाते में जाए, इसके लिए जब से DBT का प्रयोग हुआ है, तब से 15 दिन के अंदर राशि मजदूरों को मिल रही है। मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे राज्य हैं, जहां पर इसमें कुछ कमी है, उस कमी को भी अधिक से अधिक 30 दिन में दूर कर दिया जाएगा। सर, 7 ऐसे राज्य हैं, जहां पर कुछ जगह पर cash payment की व्यवस्था की गई है और खास तौर से जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जहां राशि का भुगतान cash में किया जाता है, करीब 300 exact blocks में cash के माध्यम से भी भुगतान किया जाता है क्योंकि वहां पर DBT की व्यवस्था में व्यवधान है। हम राशि की कोई कमी नहीं होने देंगे। जो इसकी मूल भावना है, उस मूल भावना के अनुसार मजदूरों को, गांव के मजदूरों को रोजगार मिले, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उसके लिए हम हर-संभव काम करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री अमर सिंहः सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने Common Review Mission के बारे में नहीं बताया है। अगर उनके पास जवाब तैयार नहीं है, तो वे लिखकर बता दें।

श्री सभापतिः ठीक है।

कोयला एवं खनिजों से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु समन्वय के लिए मंच

*228. **श्री दिग्विजय सिंहः** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोयला एवं खनिज से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक पृथक मंच बनाया जाना चाहिए और यदि हां, तो इसका गठन कब तक हो जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 को निरस्त करने और पंजीयन का प्रावधान करने के वास्ते सरकार क्या-क्या प्रयास कर रही है क्योंकि राज्य सरकारों का कोयला कंपनियों से अनुबंध का निष्पादन न होने के कारण राज्य सरकारों को मुद्रांक और पंजीयन शुल्क का बहुत भारी नुकसान हो रहा है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल)ः (क) संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत पहले ही से एक अंतर्राज्यीय परिषद है। परिषद, एक अनुशंसात्मक निकाय है जिसके अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कर्तव्य हैः

(i) ऐसे विषयों की जांच करना और उन पर विचार विमर्श करना, जिनमें सभी अथवा कुछ राज्यों, अथवा संघ और एक अथवा अधिक राज्यों का आम हित हो;